संलग्नक-1

Ref- 1090/525-NGT/20 Dated 13-01-2020

टिप्पणी एवं आदेश

कृपया अवगत होना चाहें कि मा० एन०जी०टी० मे योजित ओ०ए० सं० 525/2019 मदन पाल सिंह व अन्य बनाम यू०पी० स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य मे मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 18.12.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत है–

O.A. No. 525/2019, Madan Pal Singh & Others Vs. U.P State Pollution Control Board & Ors. has been taken up on the report today and it was informed to the Tribunal that for stone crushers out of six have been closed down and the same is duly recorded in the aforesaid report. (A report was sought from the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate, Mahoba, UP with reference to the allegation of violation of environmental norms by operation of stone crushers by M/s Prayag Raj Granite (Present name Sharda Granite), M/s Paras Granite, M/s Krishna Granite Works, M/s R.B. Associate, M/s Arihant Granite (Old name M/s Shubham Granite) and M/s Ravi Granite in District Mahoba, U.P.) So far as the rest of the two stone crushers are concerned show cause notice for closure has been issued the Tribunal, however raised a query regarding non-imposition of EC on account of illegal operation and non compliance of earlier show cause notice. Further the Tribunal has directed the Board to submit the report regarding inposition of EC and recovery of the amount within two weeks.

निम्नलिखित उद्योग ... केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु बनायी गयी गाइडलाइन के अनुसार फार्मूला निम्नवत है–

Environment Compensation (EC)=Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale for operation (S) x Location Factor (LF).

Pollution Index (PI)= (80 for red category unit, 50 for Orange category unit, 30 for Green Category unit)

N=No. of days from which the non-compliance has been observed=

R= (R factor in Rupees).

S= Factor for scale of operation= as investment of unit less than 10 Cr. (0.5 for small scale unit, 1.5 for large scale unit).

LF= Location Factor= 1.0 as population of **Mahoba**, lies between 1 Lac to 10 Lac.

(LF is 1.00 for population less than 10 lac, 1.25 for population 10 Lac to 50 Lac, 1.5 for population 50 Lac to 1 Cr. And 2 for Population more than 10 Cr.).

There for EC=PI x N x R x S x LF

=50 x N x 250 x 0.5 x 1.0 = 6250 x N

क्र० सं०	उद्योग (स्टोन क्रशर का नाम व पता)	कारण बताओ नोटिस/बन्दी आदेश का विवरण	डिफाल्टिंग (निरीक्षण) दिनांक	जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा बन्दी दिनांक	डिफाल्टिंग अवधि (दिन)	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रतिदिन (रुपया में)	कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (रूपये में)
1	M/s Maa sharda Granite Bilhai Mahoba	Self closed & Closed by Dist. Committee	04.09.2019	16.09.2019	——	——	Self Closed
2	M/S Paras Granite Bilbai, Kabrai, Mahoba	Self Closed	27.09.2019	24.10.2019	28	6,250.00	1,75,000.00
3	M/S Krishna Granite Kali Pahadi, Mahoba	Closed by Dist. Committee	04.09.2019	30.09.2019	27	6,250.00	1,68,750.00 [illegible]
4	M/S R.B Associate, Bilbai, Kalipahadi, Kabrai, Mahoba	Self Closed	01.01.2020	10-01-2019	10	——	62,500.00
5	M/s Arihant Granite Old Name Shubham Granite Daharra Kabrai, Mahoba	Self Closed & Closed by Dist. Committee	04.09.2019	04.09.2019 & 16.09.2019	——	——	Self Closed
6	M/s Jai Maa Gangotri Granite (Old Name- Ravi Granite) Kalipahadi, Kabrai, Mahoba	Self closed & Closed by Dist. Committee	04.09.2019	16.09.2019	——	——	Self Closed

Scanned by CamScanner

टिप्पणी एवं आदेश

उपरोक्तानुसार उपरोक्त इकाईयां राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना संचालित किया गया है जो जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियम में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन दर्शाता है। उक्त के दृष्टिगत सन्दर्भित उद्योगों पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स द्वारा पारित आदेश के अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0 525/2019 मदन पाल सिंह व अन्य बनाम यू0पी0 स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 18.12.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में उपरोक्त इकाईयों द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन न किये जाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। उपरोक्त उद्योगो पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की गणना आख्या संलग्न कर संस्तुति सहित आपके अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

(राज करन वर्मा)	(डॉ0 माधवी कमलवंशी)	(घनश्याम)
वैज्ञानिक सहायक	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी	क्षेत्रीय अधिकारी
	13/01/2020	13/01/2020

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2) महोदय

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा
34 ए, निकट, संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं0–2, चिल्ला रोड, बॉदा (उ0प्र0) पिन–210001

संदर्भ संख्या– 1468/NGT-525/19/20 दिनांक : 24/3/20

सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय
माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण फरीदकोट हाउस
इण्डिया गेट के पास भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 525/2019 मदनपाल सिंह व अन्य बनाम यू0पी0 स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 के अनुपालन में आख्या का प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश I दिनांक 18.12.2019 को पारित आदेश I के अनुपालन मे बिन्दुवार विवरण निम्नवत है–

1. उक्त प्रकरण में 1–मैसर्स मॉ शारदा ग्रेनाइट, बिलबई महोबा, 2–मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, काली पहाडी, महोबा, 3–मैसर्स अरिहन्त ग्रेनाइट पुराना नाम शुभम ग्रेनाइट, डहर्रा कबरई, महोबा, 4–मैसर्स जय मॉ गंगोत्री ग्रेनाइट पुराना नाम रवी ग्रेनाइट, काली पहाडी, कबरई, महोबा, को बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31 ए के अन्तर्गत बंदी निर्देश व बंदी आदेश जारी किया गया जिसके अनुपालन में दिनांक 16.09.2019 को जिला प्रशासन महोबा के द्वारा उक्त चार उद्योग को बंदी कराया गया । 1–मैसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई, महोबा, 2–मैसर्स आर0बी0 एसोसिएट, बिलबई, काली पहाडी, कबरई, महोबा शेष 02 उद्योगों को बोर्ड के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गमन किया गया जिसके उपरान्त उक्त दोनों उद्योगों के विरूद्ध उक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि दिनांक 06.01.2020 को बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है और उक्त उद्योग के द्वारा बोर्ड को सूचना प्रेषित की गई है कि वर्तमान में उद्योग को स्वतः बन्द रखा गया है को दृष्टिगत रखते हुए 06 उद्योगों के पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यालय रिकार्ड के अनुसार एसेसमेन्ट किया गया जिसमें से 03 उद्योग (मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, काली पहाडी, महोबा, मैसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई, महोबा, मैसर्स आर0बी0 एसोसिएट, बिलबई, काली पहाडी, कबरई, महोबा) को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाये जाने हेतु पर्याप्त आधार पाया गया, छायाप्रति संलग्न है की संस्तुति दिनांक 13.01.2020 को बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई। (संलग्नक–1)
2. उक्त प्रकरण में क्षेत्रीय कार्यालय बॉदा द्वारा दिनांक 13.01.2020 को बोर्ड मुख्यालय को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु की गई संस्तुति के आधार पर मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, काली पहाडी, महोबा, मैसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई, महोबा, मैसर्स आर0बी0 एसोसिएट, बिलबई, काली पहाडी, कबरई, महोबा को सक्षम अधिकारी (सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ) के द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित के लिए कारण बताओ नोटिस का अनुमोदन क्षेत्रीय अधिकारी को दिनांक 14.01.2020 को प्राप्त हुआ जिसके उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी के द्वारा उपरोक्त तीनों उद्योगों मे से 01 उद्योग मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, काली पहाडी, कबरई, महोबा को दिनांक 08.01.2020 (माननीय एनजीटी में ओ0ए0 सं0 154/2018 में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,68,750.00 (एक लाख अरसठ हजार सात सौ पचास रू0) अधिरोपित करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 09.01.2020 को जारी किया गया) तथा शेष 02 उद्योग मैसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई महोबा को रू0 1,75,000.00 (एक लाख पचहत्तर हजार रू0) व मैसर्स आर0बी0 एसोसिएट काली पहाडी, कबरई महोबा को रू0 62,500 (बासठ हजार पॉच सौ रू0) दिनांक 14.01.2020 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित के लिए कारण बताओ नोटिस प्रेषित की गई है। (संलग्नक–2,3,4)

उपरोक्त बिन्दुवार आख्या संलग्न कर माननीय न्यायाधिकरण को सादर प्रस्तुत की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
24/03/20
(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. श्री प्रदीप मिश्रा, एडवोकेट, (माननीय एनजीटी, स्टैण्डिंग काउन्सिंल) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोबा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)/ मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

सलग्नक-02

दूरभाष–05192 220048
ई–मेल:– robanda@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा
34 ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर, गेट नं0 2,
चिल्ला रोड, बाँदा (उ0प्र0) पिन–210001

सदर्भ संख्या– 1029/एन.जी.टी–154/ महोबा/20

सेवा में,

दिनांक:–09.01.2020

पंजीकृत

मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट,
कालीपहाडी, कबरई,
जनपद–महोवा।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में स्टोन कशर द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0 154/2018 सोसायटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेन्ट एण्ड बायोडायवर्सिटि बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ऑफ एण्ड अदर्स में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक .12.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

".........The Learned Counsel for State of Uttar Pradesh as well as State Pollution Control Board are Directed to submit specific affidavits of all the District Magistrates in respects of the action taken by them against the Stone Crushers who are operating without consent......"

मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, कालीपहाडी, कबरई, जनपद–महोबा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा द्वारा दिनांक 04.09.2019 को एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 30.09.2019 को किया गया। उक्त दोनों तिथियों में उद्योग पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित किया गया। मा0 एन0जी0टी0 के अदेशानुसार एवं बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 07.01.2020 द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना संचालित स्टोन कशर के विरूद्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु बनायी गयी गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित निम्न फार्मूले के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है ।

Environment Compensation (EC)=Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale for operation (S) x Location Factor (LF).

Pollution Index (PI)= (80 for red category unit, 50 for Orange category unit, 30 for Green Category unit)

N=No. of days from which the non-compliance has been observed=

R= R factor in Rupees).

S= Factor for scale of operation= as investment of unit less than 10 Cr. (0.5 for small scale unit, 1.5 for large scale unit).

LF= Location Factor= 1.0 as population of **Mahoba**, lies between 1 Lac to 10 Lac.

(LF is 1.00 for population less than 10 lac, 1.25 for population 10 Lac to 50 Lac, 1.5 for population 50 Lac to 1 Cr. And 2 for Population more than 10 Cr.).

There for EC=PI x N x R x S x LF

=50 x N x 250 x 0.5 x 1.0

=Rs. 6250 x N

उपरोक्त के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संदर्भित स्टोन कशर के विरूद्ध दिनांक 04.09.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक अर्थात 27 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है ।

....../2–

Scanned by CamScanner

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन "Methodology for Assessing Environmental Compensation" के अनुसार दिनांक 04.09.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक अर्थात 27 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 01,68,750.00/– (रू0 एक लाख अरसठ हजार सात सौ पचास मात्र) आंगणित हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी (सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ) के दिनांक 08.01.2020 के अनुमोदनार्थ एवं निर्देशानुसार मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, कालीपहाडी, कबरई, जनपद–महोबा के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न मैसर्स कृष्णा ग्रेनाइट, कालीपहाडी, कबरई, जनपद–महोबा के विरूद्ध दिनांक 04.09.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक अर्थात 27 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 01,68,750.00/– (रू0 एक लाख अरसठ हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार दिनांक 04.09.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक अर्थात 27 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 01,68,750.00/– (रू0 एक लाख अरसठ हजार सात सौ पचास मात्र) अधिरोपित कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संदिर्भत उद्योग स्वामी एवं संचालन के प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :–**निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।**

1. जिलाधिकारी, महोबा ।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

समाप्त-03

दूरभाष–05192 220048
ई–मेलः– robanda@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा
34 ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर, गेट नं0 2,
चिल्ला रोड, बाँदा (उ0प्र0) पिन–210001

संदर्भ संख्या– 1102(B)/एन.जी.टी–525/महोबा/20

दिनांकः–14.01.2020
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स पारस ग्रेनाइट,
बिलबई, कबरई,
जनपद–महोबा।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में स्टोन कशर द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0 525/2019 मदन पाल सिंह व अन्य बनाम यू0पी0 स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 18.12.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

O.A. No. 525/2019, Madan Pal Singh & Others Vs. U.P State Pollution Control Board & Ors. has been taken up on the report today and it was informed to the Tribunal that for stone crushers out of six have been closed down and the same is duly recorded in the aforesaid report. (A report was sought from the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate, Mahoba, UP with reference to the allegation of violation of environmental norms by operation of stone crushers by M/s Prayag Raj Granite (Present name Sharda Granite), M/s Paras Granite, M/s Krishna Granite Works, M/s R.B. Associate, M/s Arihant Granite (Old name M/s Shubham Granite) and M/s Ravi Granite in District Mahoba, U.P.) So far as the rest of the two stone crushers are concerned show cause notice for closure has been issued the Tribunal, however raised a query regarding non-imposition of EC on account of illegal operation and non compliance of earlier show cause notice. Further the Tribunal has directed the Board to submit the report regarding inposition of EC and recovery of the amount within two weeks

मैसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई, जनपद–महोबा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा द्वारा दिनांक 27.09.2019 को एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 24.10.2019 को किया गया। उक्त दोनों तिथियों में उद्योग पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित किया गया। मा0 एन0जी0टी0 के अदेशानुसार एवं बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 07.01.2020 द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना संचालित स्टोन कशर के विरूद्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु बनायी गयी गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित निम्न फार्मूले के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है ।

Environment Compensation (EC)=Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale for operation (S) x Location Factor (LF).

Pollution Index (PI)= (80 for red category unit, 50 for Orange category unit, 30 for Green Category unit)
N=No. of days from which the non-compliance has been observed=
R= (R factor in Rupees).
S= Factor for scale of operation= as investment of unit less than 10 Cr. (0.5 for small scale unit, 1.5 for large scale unit).
LF= Location Factor= 1.0 as population of **Mahoba**, lies between 1 Lac to 10 Lac.

(LF is 1.00 for population less than 10 lac, 1.25 for population 10 Lac to 50 Lac, 1.5 for population 50 Lac to 1 Cr. And 2 for Population more than 10 Cr.).

...../2-

Scanned by CamScanner

There for EC=PI x N x R x S x LF
=50 x N x 250 x 0.5 x 1.0
=Rs. 6250 x N

उपरोक्त के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संदर्भित स्टोन क्रशर के विरूद्ध दिनांक 27.09.2019 से दिनांक 24.10.2019 तक अर्थात 28 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन "Methodology for Assessing Environmental Compensation" के अनुसार दिनांक 27.09.2019 से दिनांक 24.10.2019 तक अर्थात 28 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 01,75,000.00/– (रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) आंगणित हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी (सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ) के दिनांक 14.01.2020 के अनुमोदनार्थ एवं निर्देशानुसार मैसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई, जनपद–महोबा के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न मैसर्स पारस ग्रेनाइट, बिलबई, कबरई, जनपद–महोबा के विरूद्ध दिनांक 27.09.2019 से दिनांक 24.10.2019 तक अर्थात 28 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 01,75,000.00/–(रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार दिनांक 27.09.2019 से दिनांक 24.10.2019 तक अर्थात 28 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 01,75,000.00/– (रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) अधिरोपित कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संदिर्भत उद्योग स्वामी एवं संचालन के प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

14/1/20

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, महोबा ।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।

14/1/20

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

संलग्नक-04

दूरभाष–05192 220048
ई–मेल– robanda@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा
34 ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर, गेट नं0 2, विल्ला रोड, बाँदा (उ0प्र0) पिन–210001

संदर्भ संख्या– 1101(B)/एन.जी.टी–525/महोबा/20 दिनांकः–14.01.2020

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स आर0बी0 एसोसिएट,
बिलबई, कालीपहाडी, कबरई,
जनपद–महोबा।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में स्टोन क्रशर द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस के सम्बंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0 525/2019 मदन पाल सिंह व अन्य बनाम यू0पी0 स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 18.12.2019 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

O.A. No: 525/2019, Madan Pal Singh & Others Vs. U.P State Pollution Control Board & Ors. has been taken up on the report today and it was informed to the Tribunal that for stone crushers out of six have been closed down and the same is duly recorded in the aforesaid report. (A report was sought from the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate, Mahoba, UP with reference to the allegation of violation of environmental norms by operation of stone crushers by M/s Prayag Raj Granite (Present name Sharda Granite), M/s Paras Granite, M/s Krishna Granite Works, M/s R.B. Associate, M/s Arihant Granite (Old name M/s Shubham Granite) and M/s Ravi Granite in District Mahoba, U.P.) So far as the rest of the two stone crushers are concerned show cause notice for closure has been issued the Tribunal, however raised a query regarding non-imposition of EC on account of illegal operation and non compliance of earlier show cause notice. Further the Tribunal has directed the Board to submit the report regarding inposition of EC and recovery of the amount within two weeks.

मैसर्स आर0बी0 एसोसिएट, बिलबई, कालीपहाडी, कबरई, जनपद–महोबा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, बांदा द्वारा दिनांक 01.01.2020 को एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 10.01.2020 को किया गया। उक्त दोनों तिथियों में उद्योग पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित किया गया। मा0 एन0जी0टी0 के अदेशानुसार एवं बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार क्षेत्रीय अधिकारी के पत्र दिनांक 07.01.2020 द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना संचालित स्टोन कशर के विरूद्व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु बनायी गयी गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित निम्न फार्मूले के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है ।

Environment Compensation (EC)=Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale for operation (S) x Location Factor (LF).

Pollution Index (PI)= (80 for red category unit, 50 for Orange category unit, 30 for Green Category unit)

N=No. of days from which the non-compliance has been observed=

R= (R factor in Rupees).

S= Factor for scale of operation= as investment of unit less than 10 Cr. (0.5 for small scale unit, 1.5 for large scale unit).

LF= Location Factor= 1.0 as population of **Mahoba,** lies between 1 Lac to 10 Lac.

(LF is 1.00 for population less than 10 lac, 1.25 for population 10 Lac to 50 Lac, 1.5 for population 50 Lac to 1 Cr. And 2 for Population more than 10 Cr.).

...../2–

Scanned by CamScanner

There for EC=PI x N x R x S x LF

=50 x N x 250 x 0.5 x 1.0

=Rs. 6250 x N

उपरोक्त के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में संदर्भित स्टोन क्रशर के विरूद्ध दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 10.01.2020 तक अर्थात 10 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 पर्यावरण सुरक्षा समिति एवं जनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.2018 के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाइडलाइन "Methodology for Assessing Environmental Compensation" के अनुसार दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 10.01.2020 तक अर्थात 10 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 62,500.00/– (रू0 बासठ हजार पांच सौ मात्र) आंगणित हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी (सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ) के दिनांक 14.01.2020 के अनुमोदनार्थ एवं निर्देशानुसार मैसर्स आर0बी0 एसोसिएट, बिलबई, कालीपहाडी, कबरई, जनपद–महोबा के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न मैसर्स आर0बी0 एसोसिएट, बिलबई, कालीपहाडी, कबरई, जनपद–महोबा के विरूद्ध दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 10.01.2020 तक अर्थात 10 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 62,500.00/– (रू0 बासठ हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 10.01.2020 तक अर्थात 10 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 62,500.00/– (रू0 बासठ हजार पांच सौ मात्र) अधिरोपित कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संदिर्भत उद्योग स्वामी एवं संचालन के प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, महोबा ।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।

14/1/20
क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner